संख्या 592(1)/44-2-95,

प्रेषक,

श्री आर0 एस0 माथुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों से
संबंधित शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।

लखनऊ : दिनांक 25 मई, 1995

विषय :-सार्वजनिक क्षेत्र में जनशक्ति नियोजन-पदों का सृजन।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

उपर्युक्त विषयक पार्श्वांकित शासनादेशों के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों तथा उससे जुड़ी इकाईयों में सभी पदों के सृजन के आदेश मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त ही जारी किये जाये। अतः सभी प्रशासनिक विभाग कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त ही जारी किये जायें।

1-	शा0सं0 5195/ब्यूरो-2-2(45)/79, दि0 14-12-79
2-	सं0 1125/ब्यूरो-2-(45)/79, दि0 9-2-81
3-	सं0 5943/ब्यूरो-2-2(45)/79, दि0 26-9-81
4-	सं0 306/44-2/उ0प्र0/83, दि0 13-10-83
5-	सं0 62/44-2-55/1983, दि0 19-1-85
6-	सं0 198/44-2-16/च.स./86दि0 6-2-87
7-	सं0 695/44-2-16/च.स./87, दि0 6-5-87
8-	सं0 1184-44-2-14/च.स./87, दि0 30-11-87
9-	सं0 290/44-2-11/च.स./90, दि0 10-9-90
10-	सं0 1948/44-2-14/च.स./87, दि0 29-10-92
11-	सं0 575/44-2-14/च.स./87, दि0 28-6-93

2- उपरोक्त सीमा तक संदर्भित पार्श्वांकित शासनादेश संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,
आर0 एस0 माथुर,
प्रमुख सचिव।

संख्या 592(1)/44-2-95, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(2) सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों से संबंधित शासन के समस्त प्रशासनिक अनुभाग।
(3) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1।